

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 281/2024

अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थी
1. सदराम पुत्र ठाकरा 2. बाबूलाल पुत्र सुखराम 3. भागीरथ पुत्र सुखराम 4. सुरती पत्नी सुखराम 5. सुनील कुमार पुत्र किशनाराम 6. चूकि पत्नी किसनाराम (सुनील कुमार नाबालिक जरिए कुदरती वली माता चूकि पत्नी किसनाराम) कौम विश्नोई निवासी बामड़ला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. तहसीलदार सेड़वा

उपस्थित : प्रार्थीगण वकील – श्री श्रीराम विश्नोई

दिनांक :- 24/11/2025

–: निर्णय :-

प्रार्थीगण सदराम पुत्र ठाकरा जाति विश्नोई निवासी बामड़ला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी के खेत मौजा बामड़ला पटवार क्षेत्र बामड़ला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बामड़ला तहसील सेड़वा में खसरा नम्बर 1082/168 रकब 0-8903 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1086/168 रकबा 1-7240 हैक्टेयर, खसरा संख्या 761/168 रकबा 3-0756 हैक्टेयर एवं प्रार्थीगण संख्या 02 से 06 के खेत खसरा संख्या 1057/168 रकबा 1-9506 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1081/168 रकबा 4-8886 हैक्टेयर के आए हुए है। उक्त वर्णित आराजी मूल खसरा संख्या 168 की भूमि है जिसमें पक्षकारों में आपसी सहमति से विभाजन हुआ एवं सभी खसराओं को जोड़ने के लिए रास्ता भी राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण किया गया व मौके पर नवीन खसराओं का नाप करके नक्शा ट्रेस में तरमीम की गई तथा उसी अनुसार पक्षकारों की रजिस्ट्रार कार्यालयों, बोरवैल, टांके इत्यादि बने हुए है। उक्त भूमि में खातेदारों का आपस



उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा




में बंटवाड़ा का नक्शा एवं नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम को सही किया गया, लेकिन जिस अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम की गई है, उसके क्षेत्रफल के अनुसार रकबा सही नहीं लिखा गया। यानि नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम से राजस्व रेकॉर्ड(जमाबंदी में लिखा गया रकबा भिन्न है।

क्र. सं.	खसरा संख्या	वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड (जमाबंदी) में रकबा	किस्म	वर्तमान नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम का क्षेत्रफल	मौजा	खातेदारों का नाम
1.	1082 / 168	0-8903 हैक्टेयर (5-10 बीघा)	बारानी दायम	1-1735 हैक्टेयर (7-05 बीघा)	बामड़ला	1. सदराम पुत्र ठाकरा
2.	1086 / 168	1-7240 हैक्टेयर 10-13 बीघा)	बारानी दायम	2-1043 हैक्टेयर (13-00 बीघा)	बामड़ला	
3.	761 / 168	3-0756 हैक्टेयर (19-00 बीघा)	बारानी दायम	2-4119 हैक्टेयर (14-18 बीघा)	बामड़ला	
4.	1057 / 168	1-9506 हैक्टेयर (12-01 बीघा)	बारानी दायम	2-2824 हैक्टेयर (14-02 बीघा)	बामड़ला	1. बाबूलाल पुत्र सुखराम
5.	1081 / 168	4-8886 हैक्टेयर (30-04 बीघा)	बारानी दायम	4-5568 हैक्टेयर (28-03 बीघा)	बामड़ला	2. भागीरथ पुत्र सुखराम
						3. सुरती पत्नी सुखराम
						4. सुनील कुमार पुत्र किशनाराम
						5. चूंकि पत्नी किसनाराम

उक्त खसराओं का रकबा बंटवाड़ा करते समय भूलवश गलत लिख दिए गए जिसे नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम के अनुसार शुद्ध किया जाना है। वर्तमान में प्रार्थीगण नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम के अनुसार कब्जा-काशत रहवासी ढाणी, बोरवैल, टांके इत्यादि बने हुए हैं। विप्रार्थीगण के खेतों का गलत रकबा लिखा हुआ होने से नाप इत्यादि करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। मौके पर विप्रार्थीगण का कब्जा काशत नक्शा ट्रेस के अनुसार

है एवं उक्त खसराओं के रकबे गलत लिखे होने से नक्शा में की गई तरमीम के अनुसार



उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेडवा

रकबे दुरुस्त किए जावे। अतः निवेदन है कि मौजा बामड़ला पटवार क्षेत्र बामड़ला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बामड़ला तहसील सेड़वा में खसरा नम्बर 1082/168 रकबा 0-8903 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1086/168 रकबा 1-7240 हैक्टेयर, खसरा संख्या 761/168 रकबा 3-0756 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1057/168 रकबा 1-9506 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1081/168 रकबा 4-8886 हैक्टेयर का रकबा नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम के क्षेत्रफल के अनुसार दुरुस्त करवाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को नोटिस तलब किए। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से न्यायालय के आदेश क्रमांक रीडर/2024/09 दिनांक 09.01.2025 द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन के लिए लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांक: भूअ./2025/645 दिनांक 10.07.2025 द्वारा न्यायालय को तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन " खसरा नंबर 1082/168 रकबा 0-8903 हैक्टेयर, 1086/168 रकबा 1-7240 हैक्टेयर, 761/168 रकबा 3-0756 हैक्टेयर, 1057/168 रकबा 1-9506 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1081/168 रकबा 4-8886 हैक्टेयर मूल खसरा संख्या 761/168 व 1057/168 के विभाजन होने के बाद इन खसरों का सृजन किया गया। खसरा नंबर 1057/168 व खसरा नंबर 761/168 का तहसीलदार सेड़वा के आदेश क्रमांक: भूअ./2018/3118 दिनांक 18.12.2018 को आपसी सहमति से विभाजन किया गया, जिसको नियमानुसार आदेश की पालना में जरिए नामांतरकरण संख्या 1308 अनुसार विभाजन कर तरमीम की गई। सहमति बंटवाड़ा लिखते वक्त मानवीय भूल से खसरा संख्या 1082/168 रकबा 0-8903 हैक्टेयर कर दिया गया जबकि तरमीम अनुसार इसका रकबा 1-1735 हैक्टेयर होता है। खसरा नंबर 1086/168 रकबा 1-7240 हैक्टेयर जिसका रकबा तरमीम अनुसार 2-1043 हैक्टेयर होता है। खसरा नम्बर 761/168 रकबा 3-0756 हैक्टेयर जिसका रकबा तरमीम अनुसार 2-4119 हैक्टेयर होता है। खसरा नम्बर 1057/168 रकबा 1-9506 हैक्टेयर जिसका रकबा तरमीम अनुसार 2-2824 हैक्टेयर होता है। खसरा नम्बर 1081/168 रकबा 4-8886 हैक्टेयर जिसका रकबा तरमीम अनुसार



तपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

राजस्व वाद संख्या 281/2024 उनवान सदराम वगैरा बनाम तहसीलदार सेड़वा

4-5648 हैक्टेयर होता है। मौके पर शेष खसरा नंबर 1083/168, 1084/168, 1087/168, 1088/168, 167 रकबा क्रमशः 5-3094 हैक्टेयर, 1-3354 हैक्टेयर, 1-8372 हैक्टेयर, 0-0404 हैक्टेयर, 0-161874 हैक्टेयर मौके रेकॉर्ड जमाबंदी एवं तरमीम अनुसार सही है। मौके पर सम्पूर्ण खसरा की पैमाईश कर पृथक-पृथक रकबा निकाला गया। मौके पर मूल खसरा संख्या 761/168 व 1057/168 की रकबा अनुसार भूमि मौके पर पूर्ण है। खसरा नम्बर 1082/168, 1086/168, 761/168, 1057/168, 1081/168 तरमीम अनुसार रकबा क्रमशः 2-1043 हैक्टेयर, 2-4119 हैक्टेयर, 2-2824 हैक्टेयर, 4-5648 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1082/168 का 1-1735 हैक्टेयर रकबा तरमीम एवं मौका स्थिति अनुसार है। मौके पर दोनों पक्षों द्वारा तरमीम अनुसार रकबा शुद्ध किए जाने पर सहमति दी गई।”

प्रार्थीगण वकील उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस की। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 281/2024 उनवान सदराम वगैरा बनाम तहसीलदार सेड़वा अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन पत्रांक: भू.अ./2025/645 दिनांक 10.07.2025, मौका फर्द दिनांक 15.06.2025 के मुताबिक राजस्व अभिलेख में तदनुसार दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन(पत्रांक: भू.अ./2025/645 दिनांक 10.07.2025 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 15.06.2025) इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से

कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/11/2025 को खुले इजलास में सुनाया गया।



(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
उपरखण्ड अधिकारी, सेड़वा
संख्या 24/11/2025
(SDO) सेड़वा

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 645

दिनांक: - 10.07.2025

प्रेषित:- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सेडवा (जिला- बाडमेर)

विषय:- राजस्व वाद संख्या 281/2024 अनवान सदराम वगैरह बनाम तहसीलदार सेडवा
अन्तर्गत RLR धारा 136,131 में तरमीम दुरस्ती रिपोर्ट भेजने बाबत।

प्रसंग:- श्रीमान जी आपके राजस्व वाद संख्या 281/2024 के के कम में
महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा राजस्व वाद संख्या 281/2024 अनवान सदराम वगैरह बनाम तहसीलदार सेडवा अन्तर्गत RLR धारा 136,131 में तरमीम दुरस्ती के सम्बन्ध में राजस्व ग्राम बामडला के खसरा नंबर 1082/168, 1086/168, 761/168, 1057/168, 1081/168, में तथ्यात्मक रिपोर्ट आप द्वारा चाही थी। जिसकी भू.अभिलेख निरीक्षक बामडला द्वारा दिनांक 15.06.2025 को मौका जांचकर वादी प्रतिवादी व पड़ोसियों मौतबरानों सहखातेदारों के रूबरू जांच रिपोर्ट तैयार की गई। जो इस पत्रांक के सलंगन भिजवाई जा रही है।

सलंगन:- उरोक्तानुसार

भवदीय

(पन्नाराम चौधरी)
तहसीलदार (भू.अ.)सेडवा

Signature valid

Digitally signed by Panna Ram
Choudhary
Designation : Tehsildar
Date: 2025.07.10 17:59:28 IST
Reason: Approved



आज दिनांक 15/06/2025 को मौजा बामडला स्थित श्रीमान हंसराज अश्वरुप
के राखक वाद से 28/2/2024 निर्गत दिनांक 2/01/25 अनवान सदास
नाम तहसीलदार सेरवा स्वयं श्रीमान तहसीलदार सेरवा के आदेश/कुमाड/भु.अं/
213-219 दिनांक 29/01/2025 के पालना में मौजा बामडला के मौजे पर
पट्टेचा।

मौजे पर खसरा न. 1082/168 रकबा 0.8903 हे. 1086/168 रकबा 1.7240
हे. 761/168 रकबा 3.0756 हेक्टर, 1057/168 रकबा 1.9506 हे. ख. न. 1081/168
रकबा 4.8886 हेक्टर मूल खसरा न. 761/168 व 1057/168 के विभाजन होने
के बाद इन खसरा का सृजन किया गया।

खसरा न. 1057/168 व खसरा न. 761/168 का श्रीमान तहसीलदार
सेरवा स्वयं के आदेश/कुमाड/भु.अं/2018/3118 दिनांक 18.12.2018 को
आपसी सहमती से विभाजन किया गया जिसको नियमानुसार आदेश
के पालना में जारी नामान्तरण सं. 1308 अनुसार विभाजन डल तरमीम
की गई।

सहमती बंटवार लिखत वक्त मानवीध मूल से खसरा 1082/168 रकबा
0.8903 हेक्टर डल दिया गया जबकि तरमीम अनुसार इसका रकबा
1.1735 हेक्टर होता है खसरा न. 1086/168 रकबा 1.7240 हेक्टर
जिसका रकबा तरमीम अनुसार 2.1043 हेक्टर होता है। खसरा नम्बर
761/168 रकबा 3.0756 हे. जिसका रकबा तरमीम अनुसार 2.4119 हेक्टर
होता है। खसरा नम्बर 1057/168 रकबा 1.9506 हेक्टर जिसका रकबा
तरमीम अनुसार 2.2824 हेक्टर होता है। खसरा नम्बर 1081/168 रकबा
4.8886 हेक्टर जिसका रकबा तरमीम अनुसार 4.5648 हेक्टर होता है।
मौजे पर मौजे खसरा न. 1083/168, 1084/168, 1087/168, 1067 रकबा
1088/168
इसका 5.3094 हे., 1.3354 हे., 1.8372 हे., 0.0404 हे., 0.161874 हे. मौजे
रेकॉर्ड जमावदी स्वयं तरमीम अनुसार सहि है।

मौजे पर सम्पूर्ण खसरे के पैसाईया डल पयड-पयड
रकबा निकाला गया। मौजे पर मूल खसरा न. 761/168 व 1057/168
के रकबा अनुसार भूमि मौजे पर पूर्ण है। खसरा नम्बर
1083/168, 1086/168, 761/168, 1057/168, 1081/168 तरमीम अनुसार

~~प्रकीर्ण~~

सुपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेइवा

रकबा 2.1043 हेक्टर, 2.4119 हेक्टर, 3.0956 हेक्टर, 2.2824 हेक्टर,
4.5648 हेक्टर, ख.न. 1082/168 वा 1.1735 हेक्टर रकबा तस्मीन खस

मौजदार अख्तार है।

~~मौजे पर दोनो पक्षो द्वारा तस्मीन अख्तार खुणा मुस~~
~~जाने पर खसमती है गई।~~

~~फर्द मौजा मौजे पर तस्मात डल पड़त खुनाई जमी खस~~
~~उपलियत मौतगरान के इस्तासत डरकास जमी~~

~~खलमत - बंठकारा प्रति~~
~~नामान्तरी प्रति~~

P. Nath

15/6/25
ILA Bhamshila

C/S
WR

तस्मीलदार (गु.अ.) सेइवा

मजनमाल

मोहनलाल डिहाई

मोहनलाल

अबुलाल

अ. शरफ

फरद एताप

सुनिल

अ. भागेश

रं. फरक

करिम

दीर

चुकी

सोहनलाल डिहाई

भारत लाल
अबुलाल